संख्या-13/2026-वे0आ0-2-452/दस-2026-ई0प0संख्या-2015306

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
गृह विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक : 20 जुलाई, 2026**

विषय : वेतन समिति (2016) के सातवें प्रतिवेदन के माध्यम से गृह (पुलिस) विभाग से सम्बन्धित भत्तों के सम्बन्ध में दी गयी संस्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में वेतन समिति (2016) के सातवें प्रतिवेदन के माध्यम से दी गयी संस्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा विचार कर प्रदान की गयी संस्तुतियों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त गृह (पुलिस) विभाग से सम्बन्धित भत्तों के सम्बन्ध में निम्नवत निर्णय लिए गए हैं:-

(i) पी0ए0सी0 भत्ता -

क्र0सं0	पदनाम	वर्तमान में अनुमन्य पी0ए0सी0 भत्ता (रूपये/प्रतिमाह)	पुनरीक्षित पी0ए0सी0 भत्ता (रूपये/प्रतिमाह)
1	सेनानायक	1600	2700
2	उप सेनानायक/अपर पुलिस अधीक्षक	600	1000
3	सहायक सेनानायक/स्टाफ आफिसर	600	1000
4	शिविरपाल	600	1000
5	दलनायक	400	700
6	सुबेदार मेजर	250	450
7	सुबेदार शिविरपाल	250	450
8	प्लाटून कमाण्डर	200	350
9	मुख्य आरक्षी	150	260
10	नायक	200	350
11	लान्स नायक	150	260
12	आरक्षी एवं समकक्ष	100	200

(ii) नक्सल क्षेत्र भत्ता -

प्रशा० विभाग द्वारा सम्यक विचारोपरांत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(iii) <u>एस0टी0एफ0/ए0टी0एस0 भत्ता</u> -

क्र0सं0	पदनाम	वर्तमान में अनुमन्य जोखिम भत्ता (प्रतिमाह)	पुनरीक्षित जोखिम भत्ता (प्रतिमाह)
1	अपर पुलिस महानिदेशक	मूल वेतन का 30 प्रतिशत अधिकतम रू0 12,500/-	मूल वेतन का 25 प्रतिशत अधिकतम रू0 15000/-
2	पुलिस महानिदेशक	-तदैव-	-तदैव-
3	पुलिस उप महानिरीक्षक	-तदैव-	-तदैव-
4	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	-तदैव-	-तदैव-
5	अपर पुलिस अधीक्षक	-तदैव-	-तदैव-
6	पुलिस उपाधीक्षक	-तदैव-	-तदैव-
7	अभियोजन अधिकारी	-तदैव-	-तदैव-
8	जूनियर सांइटिफिक आफिसर	-तदैव-	-तदैव-
9	निरीक्षक ना0पु0, निरीक्षक(एम)/सीए, निरीक्षक(एम), रेडियो केन्द्र अधिकारी	-तदैव-	-तदैव-
10	उपनिरीक्षक ना0पु0, एस0आई0(एम)/आशुलिपिक, एस0आई0(एम)	-तदैव-	-तदैव-
11	ए0एस0आई0(एम0)	-तदैव-	-तदैव-
12	हेड कांस्टेबल/मु0आ0 प्राफिसिएन्ट/मु0आ0एम0टी0/मु0आ0ए0पी0	-तदैव-	-तदैव-
13	कांस्टेबल/आरक्षी, चालक/आरक्षी ए0पी0/विस्फोटक विशेषज्ञ आरक्षी/ उर्दू अनुवादक/बंगाली अनुवादक	-तदैव-	-तदैव-
14	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (ओ0पी0)	-तदैव-	-तदैव-

(iv) <u>विशेष अनुसंधान दल (एस0आई0टी0) भत्ता</u> -

क्र0सं0	पदनाम	अनुमन्य विशेष भत्ता (रूपये/प्रतिमाह)	पुनरीक्षित विशेष भत्ता (रूपये/प्रतिमाह)
1	अपर पुलिस महानिदेशक	मूल वेतन का 10 प्रतिशत अधिकतम रू0 6,500/-	मूल वेतन का 08 प्रतिशत अधिकतम रू0 10,000/-
2	पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक	-तदैव-	-तदैव-
3	पुलिस अधीक्षक	-तदैव-	-तदैव-
4	पुलिस उपाधीक्षक	-तदैव-	-तदैव-
5	अभियोजन अधिकारी	-तदैव-	-तदैव-
6	सहायक अभियोजन अधिकारी	-तदैव-	-तदैव-
7	निरीक्षक	-तदैव-	-तदैव-
8	उपनिरीक्षक	-तदैव-	-तदैव-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

9	एस0आई0(एस0)	-तदैव-	-तदैव-
10	ए0एस0आई0(एस0)	-तदैव-	-तदैव-
11	कांस्टेबल	-तदैव-	-तदैव-
12	फालोवर	-तदैव-	-तदैव-

(V) <u>पुलिस मुख्यालय भत्ता</u> -

क्र0सं0	पदनाम	अनुमन्य पुलिस मुख्यालय भत्ता (प्रतिमाह) (रू0 में)	पुनरीक्षित पुलिस मुख्यालय भत्ता (प्रतिमाह) (रू0 में)
1	पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय	800	2000
2	पुलिस अधीक्षक, कार्मिक	800	2000

(Vi) <u>पी0ए0सी0 के 04 कम्पनियों में नियुक्त कमाण्डो कर्मियों को प्रोत्साहन भत्ता</u> -

क्र0सं0	पदनाम	वर्तमान में अनुमन्य कमाण्डो भत्ता (प्रतिमाह) (रू0 में)	पुनरीक्षित कमाण्डो भत्ता (प्रतिमाह) (रू0 में)
1	दल नायक	400	1600
2	प्लाटून कमाण्डर	328	1300
3	मुख्य आरक्षी	195	900
4	आरक्षी	190	800

(Vii) <u>परिधान भत्ता</u> -

माननीय उच्च न्यायालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के परिधान भत्ते की दर को रू0 650 प्रतिमाह कर दिया जाय।

(Viii) <u>थानाध्य (प्रभारी)/वाचक भत्ता</u> -

थानाध्य (प्रभारी)/वाचक को रू0 200 प्रतिमाह प्रभारी/वाचक भत्ता अनुमन्य किया जाय।

(ix) <u>प्रतिसार निरीक्षक/उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस भत्ता</u> -

प्रतिसार निरीक्षक को रू0 600 प्रतिमाह प्रतिसार निरीक्षक भत्ता अनुमन्य किया जाय। उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस को वर्तमान में उक्त भत्ता अनुमन्य नहीं है, उक्त व्यवस्था को यथावत बनाये रखा जाय।

(X) <u>प्रभारी निरीक्षक (डी0सी0आर0बी0) भत्ता</u> -

प्रभारी निरीक्षक (डी0सी0आर0बी0) को रू0 200 प्रतिमाह डी0सी0आर0बी0 भत्ता अनुमन्य किया जाय।

(Xi) <u>बिगुलर भत्ता</u> -

बिगुलर सिपाही को रू0 100 प्रतिमाह बिगुलर भत्ता अनुमन्य किया जाय।

(Xii) <u>यातायात भत्ता</u> -

यातायात पुलिस को रू0 100 प्रतिमाह ट्रैफिक भत्ता अनुमन्य किया जाय।

(Xiii) <u>आरमोरर भत्ता</u> -

आरक्षी/मुख्य आरक्षी को रू0 100 प्रतिमाह आरमोरर भत्ता अनुमन्य किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(xiv) <u>शैडो भत्ता</u> -

माननीय मंत्रियों से सम्बद्ध शैडो स्टाफ के कान्स्टेबल एवं हेड कान्स्टेबल को क्रमश: शैडो भत्ता 0 150 एवं रू0 200 प्रतिमाह दिया जाय।

(xv) <u>माउण्टेड पुलिस (घुडसवार पुलिस) भत्ता</u> -

घुडसवार पुलिस को प्रोत्साहन भत्ता न दिये जाने की राज्य सरकार की वर्तमान व्यवस्था को यथावत बनाये रखा जाय।

(xvi) <u>जल पुलिस भत्ता</u> -

जल पुलिस को प्रोत्साहन भत्ता न दिये जाने की राज्य सरकार की वर्तमान व्यवस्था को यथावत बनाये रखा जाय।

(xvii) <u>परिवहन शाखा</u> -

परिवहन शाखा के एस0आई0एम0टी0/हेड कान्स्टेबल एम0टी0 को प्रोत्साहन भत्ता न दिये जाने की राज्य सरकार की वर्तमान व्यवस्था को यथावत बनाये रखा जाय।

(xviii) <u>व्यवस्थापन भत्ता</u> -

राज्य कर्मचारियों के लिये यात्रा भत्ता के अन्तर्गत दैनिक भत्ते की दरों में वृद्धि हो जाने के उपरान्त पी0ए0सी0 में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत देय दैनिक भत्ते की दरों में स्वत: वृद्धि हो गयी है।

अत: पी0ए0सी0 में नियुक्त अधिकारियों / कर्मचारियों को अनुमन्य वर्तमान व्यवस्था को पुनरीक्षित दरों पर यथावत बनाये रखा जाय।

2- उक्त भत्तों की संशोधित दरें विभागीय शासनादेश निर्गत किये जाने के दिनांक से लागू होंगी।

3- कृपया उपर्युक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,
दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या-13/2026-वे0आ0-2-452(1)/दस-2026, तद्दिनांक</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-01

(2) कार्मिक नियमावली सेल

आज्ञा से,
पुष्पराज,
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in